न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 01/2018

प्रार्थी :–	**बनाम**	**अप्रार्थी:–**
सरकार जरिये तहसीलदार रोहट		रूघनाथ पुत्र राणा पीटल निवासी दानासनी, तहसील रोहट जिला पाली

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
1. सरकारी पैरोकार
2. अधिवक्ता अप्रार्थी श्री मदनदास वैष्णव

–:: आदेश ::–

दिनांक : 15/3/21

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रोहट द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरूद्ध अप्रार्थी के नाम अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम दानासनी, पटवार हल्का बाण्डाई तहसील रोहट के खसरा नम्बर 52 किस्म गै.मु. वाला में से ख.न. 52/8 रकबा 15 बीघा किस्म गै.मु. वाला में नियम विरूद्ध किए गए आवंटन को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम दानासनी, पटवार हल्का बाण्डाई तहसील रोहट जिला पाली के खसरा नम्बर 52 किस्म गै.मु. वाला में से 15 बीघा किस्म गै.मु. वाला की भूमि का आवंटन जिसके बाद के बट्टा नम्बर 52/8 पड़े। अप्रार्थी रूघनाथ के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा किया गया है, इसके पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 19 दिनांक 29.11.1973 के द्वारा उसे गैर खातेदार दर्ज किया गया तथा नामान्तरकरण संख्या 81 दिनांक 16.06.1989 द्वारा उसे खातदेार दर्ज किया गया। उक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय से भी प्रभावित होने से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 23.05.1972 के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 19 दिनांक 29.11.1973 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 81 दिनांक 16.06.1989 को भी निरस्त कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा आवंटन कमेटी के समक्ष आवेदन पेश किया, जिस पर आवंटन कमेटी ने उसके नाम जैर प्रार्थना पत्र आराजी का आवंटन किया गया। जिस पर उसका कब्जा व काश्त है, इस कारण तहसीलदार द्वारा उसे [illegible] घोषित किया है। उक्त आराजी मौके पर वाले के रूप में नहीं होकर काबिल काश्त भूमि है अप्रार्थी द्वारा मेहनत कर काफी धन व्यय कर भूमी को काबिल काश्त [illegible] अप्रार्थी आज भी काश्त कर रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना [illegible] फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:22:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

सरकारी पैरोकार एवं अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम दानासनी, पटवार हल्का बाण्डाई तहसील रोहट के खसरा नम्बर 52 किस्म गै.मु. वाला में कुल भूमि 336 बीघा 4 बिस्वा मे से आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी रूघनाथ के नाम 15 बीघा भूमि का आवंटन किया गया जिसके ख.न. 52/8 के बट्टा नम्बर देते हुए दिनांक 26.05.1972 को किया गया। जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या नामान्तरकरण संख्या 19 दिनांक 29.11.1973 स्वीकृत किया गया, जिसके द्वारा अप्रार्थी को गैर खातेदार दर्ज किया गया तथा इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 81 दिनांक 16.06.1989 के द्वारा अप्रार्थी को खातेदार दर्ज किया गया जिसमें खसरा नम्बर 52/8 दर्ज हो गया तथा वक्त आवंटन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन वाला दर्ज थी तथा आज भी उक्त आराजी गै.मु. वाला ही दर्ज है। उक्त आराजी तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार खाली पड़ी व पड़त भूमि है। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन कमेटी को गै.मु. वाला किस्म की आराजी का आवंटन करने का अधिकार नहीं था। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध है तथा खारीज योग्य है। आवंटन आदेश दिनांक 23.05.1972 के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 19 दिनांक 29.11.1973 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 81 दिनांक 16.06.1989 को कायम रखा जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रोहट द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी रूघनाथ पुत्र राणा पीटल निवासी दानासनी, तहसील रोहट जिला पाली के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 23.05.1972 को किया गया आवंटन एवं उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 19 दिनांक 29.11.1973 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 81 दिनांक 16.06.1989 को निरस्त कराने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सादर प्रेषित है।

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:22:27 IST
Reason: SelfAttested